**न्यायालयः- अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, धौलपुर (राजस्थान)**

**पीठासीन अधिकारी : राकेश गोयल, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

**(अतिरिक्त कार्यभार)**

सेशन प्रकरण संख्या - 104/19

सरकार बनाम बिज्जो बगैरा

**विविध फौजदारी प्रकरण संख्याः- 256/2026**

मुकेश पुत्र सालिगराम निवासी गढी जखौदा थाना बाडी सदर जिला धौलपुर

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1- राजस्थान राज्य

....अभियोगी

**जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी.एन.एस.एस.**

उपस्थितः-

01. विद्वान अधिवक्ता श्री ओमवीर सिंह गुर्जर, अभियुक्त की ओर से।

02. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री मुकेश सिकरवार, वास्ते सरकार।

**आदेश** दिनांकः 09.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. जरिये अधिवक्ता न्यायालय में पेश किये जाने पर नकल दिलाई जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को उपरोक्त उनवानी प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है जबकि प्रार्थी निर्दोष है। उसका प्रकरण से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । उससे कोई बरामदगी होना शेष नहीं है । प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना है । प्रार्थी मुताबिक न्यायालय आदेश जमानत मुचलका पेश करने को तत्पर है। प्रार्थी के भागने अथवा फरार होने की कतई संभावना नहीं है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य अभियोजन को प्रभावित किये जाने की कतई कोई संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

3. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त कथनों का विरोध करते जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 आईपीसी के आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त को स्थाई गिरफ्तारी वारंट की पालना में गिरफ्तार कर दिनांक 27.02.26 को न्यायालय में पेश किया गया है तब से प्रार्थी लगभग 11 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में है । चूंकि अन्य अभियुक्त का प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण वरूये राजीनामा प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है । प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की प्रबल संभावना है। अतः प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः प्रार्थी/अभियुक्त मुकेश पुत्र सालिगराम निवासी गढी जखौदा थाना बाडी सदर जिला धौलपुर की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएस स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त हस्तगत प्रकरण की प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहने बावत् पचास-पचास हजार रूपये की दो जमानत व एक लाख रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका योग्य विचारण न्यायालय की संतुष्टिप्रद पेश कर प्रमाणित करा दे तो उसे उक्त मामले में जमानत पर छोड़ दिया जावे। आदेश की प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (Cri.) No. 4/2021 में आदेश दिनांक 28.03.2023 में पारित दिशा-निर्देश की पालना में आदेश की प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, धौलपुर को जरिये ई-मेल भेजी जावे।

**(राकेश गोयल)**
**(अतिरिक्त कार्यभार)**
**अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,**
**धौलपुर (राज0)**

6. आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(राकेश गोयल)**
**(अतिरिक्त कार्यभार)**
**अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,**
**धौलपुर (राज0)**